**भारत सरकार**

**खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 237**

**दिनांक 06 दिसम्बर, 2013 को उत्‍तर देने के लिए**

**देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग**

**237. डा. प्रदीप कुमार बालमुचू:**

**क्‍या खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

**(क)** क्या विगत तीन वर्षों में सरकार द्वारा देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में सुधार करने हेतु कोई ठोस उपाय किए गए हैं;

**(ख)** यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

**(ग)** सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वैश्विक स्तर पर किस प्रकार प्रतिस्पर्द्धात्मक बना रही है ?

**उत्तर**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री (डा. चरण दास महंत)**

**(क) और (ख)** जी हाँ महोदय, मंत्रालय ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्द्धन हेतु पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित नए कदम उठाए हैं:-

(i) मंत्रालय ने 12वीं योजना के दौरान राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्र सरकारों के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के नाम से एक नई केंद्र प्रायोजित स्कीम शुरू की है । मंत्रालय की चल रही कुछ स्कीमों को नए घटकों के साथ एनएमएफपी में सन्निविष्ट कर दिया गया है । स्कीम का मुख्य उद्देश्य मंत्रालय की स्कीम के कार्यान्वयन का विकेंद्रीकरण करना है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य/केंद्रशासित क्षेत्र सरकारों की पर्याप्त भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा । इससे मंत्रालय की स्कीम हेतु न केवल बेहतर आउटरीच उपलब्ध होगी बल्कि मंत्रालय को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित नीतिगत मामलों पर ध्यान केन्द्रित करने की भी सुविधा होगी ।

(ii) इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य-विशेष की सूचनाओं को भावी उद्यमियों के बीच प्रसारित करने हेतु ‘निवेशक पोर्टल’ शुरू किया गया है ।

(iii) निवेशकों को खास तौर से खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना, कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार अवसंरचना, क्षेत्र विशेष राज्य एजेंसियों तथा उपयोगकर्ता के अनुकूल राजकोषीय प्रोत्साहनों के लिए अवसंरचना सुविधाओं के बारे में सूचना उपलब्ध कराने हेतु “कृषि व्यापार में अवसर”- राज्य की प्रोफाइल विषय पर एक पुस्तिका जारी की गई है ।

**(ग)** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पद्धी बनाने के लिए मंत्रालय निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा हैः-

1. मेगा खाद्य पार्क स्कीम का लक्ष्य विशेषकर शीघ्र सड़ने-गलने वाले पदार्थों जैसे फलों एवं सब्जियों के लिए मूल्यश्रृंखला समेत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए उत्तम अवसंरचना उपलब्ध कराना है । इसका लक्ष्य खाद्य प्रसंस्करण को आर्थिक रूप से अधिक व्यवहार्य बनाना तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना है।

2. एकीकृत शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना स्कीम का लक्ष्य खेत से उपभोक्ता तक एक सतत एकीकृत शीत श्रृंखला एवं परिरक्षण अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए शीत श्रृंखला सुविधाओं को प्रोत्साहित करना है ।

3. बूचड़खानों की स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम का निजी पूँजी, बेहतर प्रौद्योगिकी, अग्र एवं पश्च लिंकेजों को शामिल करनी है । स्कीम स्थानीय निकायों की भागीदारी के साथ विशेषतः पीपीपी मोड के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन करती है तथा बीओओ/बीओटी/ जेवी आधार पर निजी निवेशकों/निर्यातकों की भागीदारी में लचीलापन प्रदान करती है ।

4. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नई यूनिटों की स्थापना, उन्नयन तथा मौजूदा प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नय़न/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम का कार्यान्वयन किया गया है ।

5. खाद्य प्रसंस्करण के लिए गुणवत्ता निगरानी के गठन हेतु देश में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की अवसंरचना के सृजन, एचएसीसीपी/आईएसओ 22000, आईएसओ 14000/जीएचपी/जीएमपी तथा अन्य गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन और नवोन्वेषित उत्पादों एवं प्रक्रिया आदि के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक, आर एंड डी एवं अन्य प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कीम का कार्यान्वयन किया गया है ।

6. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के सभी स्तरों पर प्रशिक्षित श्रमशक्ति/कर्मचारियों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए मानव संसाधन विकास स्कीम का कार्यान्वयन किया गया है ।

\*\*\*\*\*